संख्या:42/2018/990जेएल/22-3-18-100(38)/2018

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2018***

विषय: जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध विचाराधीन बंदी धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 भगवान दास गुप्ता को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-16805/सामा-1(3ए) ब0स्था0/गो0परि0(टी-1)/2018, दिनांक 08-05-2018 में गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध विचाराधीन बंदी धमेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 भगवान दास गुप्ता को जिला कारागार, कानपुर देहात में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या:42/2018/990जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।**
2. **अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।**
3. **जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती एवं कानपुर देहात।**
4. **पुलिस अधीक्षक, बस्ती एवं कानपुर देहात।**
5. **वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती एवं अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर देहात।**
6. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in